

2025/153

08.01.2026

पत्रावली पेश हुई।

वादी एवं उनके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं।

आज अदालत समय में रूक-रूक कर तीन बार आवाजे दिलवाये जाने के बावजूद वादी एवं उनके वकील में से किसी के उपस्थित नही होने पर उक्त वाद अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 2 व आदेश 9 नियम 3 के तहत अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

322

